



## पंचदश बिहार विधान सभा

### सप्तम् सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमाली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.12.2012 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री ललित कुमार यादव,  
स०वि०स०

श्री अनिरुद्ध कुमार,

स०वि०स०

श्री अम्बिका सिंह,

स०वि०स०

डा० फैयाज अहमद,

स०वि०स०

“जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकार सतत प्रयत्न कर रही है और इसी कड़ी में अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मनीगाढ़ी अंचल, दरभंगा के कार्यकलाप की जांच विभागीय जांच दल द्वारा दिनांक-29.06.2012 को की गयी थी। जांच में अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा व्यापक रूप से अनियमितता बरतने, कूपन लिंकड आवर्टन नहीं करने, जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं करने एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों की अनदेखी करने का आरोप सत्य पाया गया, जिसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-4869 दिनांक-03.08.12 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उक्त अंचलाधिकारी को अविलम्ब निर्लिपित कर विभागीय कार्यवाही चलाने तथा सेवा पैतृक विभाग को वापस करने हेतु अनुरोध किया गया। राजस्व विभाग के पत्रांक-800 दिनांक-19.10.12 द्वारा जिलाधिकारी, दरभंगा को प्रपत्र-क गठित कर भेजने हेतु निर्देश दिया गया परन्तु आजतक उक्त अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मनीगाढ़ी, दरभंगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतएव उक्त अनियमितता बरतने वाले पदाधिकारी पर अविलम्ब कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

खाद्य एवं  
उपभोक्ता  
संरक्षण /  
राजस्व  
एवं भूमि  
सुधार

1	2	3	4
---	---	---	---

२. डा० दाठद अली,

स०वि०स०

श्री गजानन्द शाही,

स०वि०स०

"बक्सर जिलान्तर्गत सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक जल अभियंता द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में नहरों के मरम्मती के नाम पर लगाभग अंके-1,50,00,000/- रु० राशि की अनियमितता को गई है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि हुई है। मजदूरों को चास्तिक मजदूरी तक नहीं दी गयी है।

अतएव सोन नहर प्रमंडल, बक्सर में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में कराये गये कार्य की जांच कराते हुए दोषी को सजा दिलाने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

लक्ष्मीकान्त झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-36/12- 1689 / वि०स०, पटना, दिनांक- ०३ दिसम्बर, 2012 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यमण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२१८८  
०३/१२/१२  
(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-36/12- 1689 / वि०स०, पटना, दिनांक- ०३ दिसम्बर, 2012 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

२१८९  
०३/१२/१२  
(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।